सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 334 राँची, सोमवार, 15 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

3 जून, 2026

संख्या- 4/विविध-10-12/2020 का. 3641--विभागीय आदेश संख्या 5835 दिनांक 13.11.2020 द्वारा प्रकाशित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की वरीयता सूची के क्रमांक- 82 पर श्री दिलीप कुमार, झा०प्र०से० का नाम दर्ज है, जिसमें उनका गृह जिला- हजारीबाग अंकित है ।

2. श्री कुमार के द्वारा समर्पित आवेदन के अनुसार उनका निवास पतरातु प्रखण्ड में पड़ता है, जो पूर्व में हजारीबाग जिला का भाग था, परन्तु रामगढ़ जिला के गठन के पश्चात पतरातु प्रखण्ड सम्प्रति रामगढ़ जिला का भाग है ।

3. श्री कुमार के e-Service Book में इनका स्थायी पता ग्राम-देवरीया, बरगाँवा, पो०-भूरकुन्डा, थाना-पतरातु, जिला- रामगढ़ दर्ज है।

4. अंचल अधिकारी, पतरातु, रामगढ़ द्वारा निर्गत श्री दिलीप कुमार, झा०प्र०से० की पत्नी का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या JHLRCO/2023/821186 दिनांक 22.12.2023 में पता ग्राम-देवरीया, थाना-पतरातु, पो०- भूरकुन्डा, जिला- रामगढ़ अंकित है ।

5. श्री कुमार के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के साथ संलग्न कागजातों के सम्यक जाँचोपरान्त श्री दिलीप कुमार का गृह जिला-हजारीबाग से परिवर्तन कर गृह जिला-रामगढ़ करने का निर्णय लिया गया है ।

6. अतः विभागीय आदेश संख्या 5835 दिनांक 13.11.2020 द्वारा प्रकाशित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की वरीयता सूची के क्रमांक-82 एवं अन्य सेवा अभिलेख में श्री दिलीप कुमार, झा०प्र०से० का गृह जिला- हजारीबाग को परिवर्तित करते हुए इनका गृह जिला रामगढ़ अन्तःस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 334 - 50